



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर धारा 387 भा0द0सं0 में 02 अभियुक्त को 03-03 वर्ष का साधारण कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना राठ में पंजीकृत मु0अ0सं0-731/2011 धारा- 448, 387, IPC व 2बी/12 डी ए एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में माननीय डकैती कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1. गंगाराम पुत्र हरदयाल 2. वीरेंद्र पुत्र हरदयाल निवासी गण पठानपुरा कस्बा व थाना राठ जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुये 03-03 वर्ष का साधारण कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।



विशेष लोक
अभियोजक राजेश
तिवारी



विवेचक-
उ0नि0 इकबाल



पैरोकार
थाना - राठ
का0 सर्वज्ञ सिंह